

प्रेषक,

लीना जौहरी,  
सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 12 नवम्बर 2014

विषय वर्ष 2014-15 में ओलावृष्टि के पूरक यथा अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2014-15 में ओलावृष्टि के पूरक यथा अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन हेतु शासनादेश संख्या-4024/1-10-2010-14(63)/2010, दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 में दिये गये निर्देशानुसार प्रदेश में शीतलहरी के पूरक ओलावृष्टि, अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से एम0एच0ए0 पत्र संख्या-32-3/2013-एन0डी0एम0-1, दिनांक 21 जून, 2013 द्वारा जारी भारत सरकार की गाइड लाइन के आईटम नं0-3 के प्राविधान Provision for Temporary Accommodation, food, clothing medical care etc. for people affected evacuated, sheltered in relief camps के अनुसार गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु रू0 5,00,000/- (रूपये पाँच लाख मात्र) प्रति तहसील (कुल 327 तहसील) की दर से रू0 16,35,00,000/- (रूपये सोलह करोड़ पैंतीस लाख मात्र) कम्बल आदि के क्रय हेतु एवं रू0 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) प्रति तहसील के दर से रू0 1,63,50,000/- (रूपये एक करोड़ तिरसठ लाख पचास हजार मात्र) अलाव जलाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण/शर्तों के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| मण्डल का नाम | जनपद का नाम |              | तहसीलों की संख्या | आवंटित धनराशि<br>(रू0 में) |
|--------------|-------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| 1- सहारनपुर  | 1           | सहारनपुर     | 05                | 27,50,000                  |
|              | 2           | मुजफ्फरनगर   | 04                | 22,00,000                  |
|              | 3           | शामली        | 02                | 11,00,000                  |
| 2- मेरठ      | 4           | मेरठ         | 03                | 16,50,000                  |
|              | 5           | हापुड़       | 03                | 16,50,000                  |
|              | 6           | गाजियाबाद    | 03                | 16,50,000                  |
|              | 7           | बुलन्दशहर    | 07                | 38,50,000                  |
|              | 8           | गौतमबुद्धनगर | 03                | 16,50,000                  |

|                 |    |                |    |           |
|-----------------|----|----------------|----|-----------|
|                 | 9  | बागपत          | 03 | 16,50,000 |
| 3- आगरा         | 10 | आगरा           | 06 | 33,00,000 |
|                 | 11 | मथुरा          | 04 | 22,00,000 |
|                 | 12 | फिरोजाबाद      | 04 | 22,00,000 |
|                 | 13 | मैनपुरी        | 04 | 22,00,000 |
| 4- अलीगढ़       | 14 | अलीगढ़         | 05 | 27,50,000 |
|                 | 15 | एटा            | 03 | 16,50,000 |
|                 | 16 | कासगंज         | 03 | 16,50,000 |
|                 | 17 | हाथरस          | 04 | 22,00,000 |
| 5- बरेली        | 18 | बरेली          | 06 | 33,00,000 |
|                 | 19 | बदायूँ         | 05 | 27,50,000 |
|                 | 20 | शाहजहाँपुर     | 04 | 22,00,000 |
|                 | 21 | पीलीभीत        | 03 | 16,50,000 |
| 6- मुरादाबाद    | 22 | मुरादाबाद      | 04 | 22,00,000 |
|                 | 23 | रामपुर         | 06 | 33,00,000 |
|                 | 24 | बिजनौर         | 05 | 27,50,000 |
|                 | 25 | अमरोहा         | 03 | 16,50,000 |
|                 | 26 | सम्भल          | 03 | 16,50,000 |
| 7- कानपुर       | 27 | कानपुर नगर     | 03 | 16,50,000 |
|                 | 28 | कानपुर देहात   | 05 | 27,50,000 |
|                 | 29 | इटवा           | 06 | 33,00,000 |
|                 | 30 | फर्रुखाबाद     | 03 | 16,50,000 |
|                 | 31 | कन्नौज         | 03 | 16,50,000 |
|                 | 32 | औरैया          | 03 | 16,50,000 |
| 8- इलाहाबाद     | 33 | इलाहाबाद       | 08 | 44,00,000 |
|                 | 34 | फतेहपुर        | 03 | 16,50,000 |
|                 | 35 | प्रतापगढ़      | 05 | 27,50,000 |
|                 | 36 | कौशाम्बी       | 03 | 16,50,000 |
| 9- झांसी        | 37 | झांसी          | 05 | 27,50,000 |
|                 | 38 | ललितपुर        | 03 | 16,50,000 |
|                 | 39 | जालौन          | 05 | 27,50,000 |
| 10- चित्रकूटधाम | 40 | हमीरपुर        | 04 | 22,00,000 |
|                 | 41 | महोबा          | 03 | 16,50,000 |
|                 | 42 | बांदा          | 05 | 27,50,000 |
|                 | 43 | चित्रकूट       | 04 | 22,00,000 |
| 11- वाराणसी     | 44 | वाराणसी        | 03 | 16,50,000 |
|                 | 45 | जौनपुर         | 06 | 33,00,000 |
|                 | 46 | गाजीपुर        | 05 | 27,50,000 |
|                 | 47 | चन्दौली        | 03 | 16,50,000 |
| 12- मिर्जापुर   | 48 | मिर्जापुर      | 04 | 22,00,000 |
|                 | 49 | सोनभद्र        | 03 | 16,50,000 |
|                 | 50 | संत रविदास नगर | 03 | 16,50,000 |
| 13- आजमगढ़      | 51 | आजमगढ़         | 07 | 38,50,000 |
|                 | 52 | मऊ             | 04 | 22,00,000 |
|                 | 53 | बलिया          | 06 | 33,00,000 |
| 14- गोरखपुर     | 54 | गोरखपुर        | 07 | 38,50,000 |
|                 | 55 | महराजगंज       | 04 | 22,00,000 |

|              |    |              |    |           |
|--------------|----|--------------|----|-----------|
|              | 56 | दवरिया       | 05 | 27,50,000 |
|              | 57 | कुशीनगर      | 06 | 33,00,000 |
| 15- बस्ती    | 58 | बस्ती        | 04 | 22,00,000 |
|              | 59 | सिद्धार्थनगर | 05 | 27,50,000 |
|              | 60 | संत कबीरनगर  | 03 | 16,50,000 |
| 16- लखनऊ     | 61 | लखनऊ         | 04 | 22,00,000 |
|              | 62 | उन्नाव       | 06 | 33,00,000 |
|              | 63 | रायबरेली     | 06 | 33,00,000 |
|              | 64 | सीतापुर      | 07 | 38,50,000 |
|              | 65 | हरदोई        | 05 | 27,50,000 |
|              | 66 | खीरी         | 07 | 38,50,000 |
|              | 67 | अमेठी        | 04 | 22,00,000 |
| 17- देवीपाटन | 68 | गोण्डा       | 04 | 22,00,000 |
|              | 69 | बहराइच       | 04 | 22,00,000 |
|              | 70 | बलरामपुर     | 03 | 16,50,000 |
|              | 71 | श्रावस्ती    | 03 | 16,50,000 |
| 18- फैजाबाद  | 72 | फैजाबाद      | 05 | 27,50,000 |
|              | 73 | सुल्तानपुर   | 04 | 22,00,000 |
|              | 74 | बाराबंकी     | 06 | 33,00,000 |
|              | 75 | अम्बेडकर नगर | 05 | 27,50,000 |

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपद में प्रति तहसील निर्बल, निराश्रित, आश्रयहीन एवं असहाय व्यक्तियों को शीतलहरी से निजात दिलाने के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सी0आर0एफ0 गाइड लाइन के अनुरूप यथोचित कार्यवाही की जाए। इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा सुविधा के अभाव में न हो।

(2) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-845/18-2-2014-12(एस0पी0)/2010, दिनांक 30 अक्टूबर, 2014 जो कि सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/स्वयत्तशासी संस्थाओं (जिन्हें आगे केता एजेन्सी कहा गया है) द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाओं, श्री गाँधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता के सम्बन्ध में है, में दिये गये निर्देशानुसार कम्बल आदि का क्रय किया जायेगा।

(3) क्रय किये जाने वाले कम्बलो की पूर्व निर्धारित दर रू0 500 से अधिक न हो तथा मानक लम्बाई कम से कम 235 से0मी0, चौड़ाई कम से कम 140 से0मी0 तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम होना चाहिए। इन कम्बलो में कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होना चाहिए तथा पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

(4) आपूर्तित संस्था को इस आशय का टैग लगाना होगा जिस पर संबंधित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है जो बिक्री के लिये नहीं है।

- (5) निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठंड व शीतलहरी से बचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा बिना समय गंवाये जरूरतमन्द व्यक्तियों को समय से निःशुल्क कम्बल आदि की सुविधा उपलब्ध कराना जाना सुनिश्चित कराया जाए ताकि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी की पूरी अवधि हेतु यह सुविधा उन्हें प्राप्त हो सके।
- (6) निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के चिन्हीकरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/अन्त्योदय कार्ड की प्रतीक्षा सूची, भूमिहीन, बीमार व अत्याधिक वृद्धजनों को प्राथमिकता दी जाय। विधवा पेंशन की प्रतीक्षा सूची में से अल्पसंख्यक बच्चों व अत्यधिक वृद्ध विधवाओं का तथा नगरीय क्षेत्र में मलिन बस्तियों व ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े मजदूरों में निवास करने वाले विशेषकर कमजोर वर्ग के वृद्ध व बीमार पुरुष/महिला को प्राथमिकता दी जाय। उपरोक्त के क्रम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 तक चिन्हित कर लिया जाय ताकि दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 तक क्रय किये गए कम्बलों आदि को कैम्प लगाकर वितरित करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि लगभग प्रत्येक ग्रामों में निर्धनतम व्यक्तियों को कम्बल अवश्य वितरित हो जाए। उपरोक्त के क्रम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को चिन्हीकरण एक सप्ताह में कर लिया जाय तथा व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाय।
- (7) लाभार्थियों का विवरण जनपद स्तर पर रखा जाय तथा उसे जनपद की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाय।
- (8) क्रय किये गये कम्बलों आदि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया जाय।
- (9) अलाव जलाने पर व्यय हुई धनराशि एवं अन्य मदों पर व्यय हुई धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र अलाव के जलाने के स्थल, दिन की संख्या, लकड़ी/कम्बल आदि के क्रय की रसीद, कुल व्यय सहित पूर्ण सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- (10) उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/फी0एस0आर0/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश सं0 2785/1-10-2011-12(73)/2008 दिनांक 14.10.2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 05 जुलाई, 2013 जिसके साथ भारत सरकार का पत्र दिनांक 21 जून, 2013 संलग्न किया गया है में अर्ह मानक मदों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (11) आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च 2015 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(12) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- क्रय किये गये कम्बल की गुणवत्ता के सम्बन्ध में प्रस्तर-1 के बिन्दु संख्या-2, 3 एवं 4 में निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

भवदीया,  
(लीना जौहरी)  
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-505(1)/1-10-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू०पी०.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
- ✓ 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 7- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 9- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(मदन मोहन)  
अनु सचिव।